

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,

कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 2223727

फैक्स नं०-2224529


निविदा सूचना संख्या- 78/2016

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना ।			
2.	निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	20-1-2017 को अपराह्न 17.00 बजे तक ।			
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	22-1-2017 को अपराह्न 15.00 बजे तक ।			
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	22-1-2017 को 15.30 बजे अपराह्न से ।			
5.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा ।			
6.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	(क)	पुलिस निगम, मुख्यालय ।		
			(ख)	पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।		
			(ग)	निविदा सम्बन्धित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी ।		
7.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1.	(क)	रु० 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी ।	
				(ख)	रु० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।	
8.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।					
9.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:				
क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कन्हौली थाना में 2 अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण कार्य	0.51	1100	500	1 माह	सामान्य
2.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर थाना में महिन्दवारा ओपी0 के छत के ऊपर सुरक्षा वलों के आवासन हेतु अस्थाई बैरक का निर्माण कार्य	1.34	2700	500	2 माह	अनुसूचित जाति
3.	भोजपुर जिलान्तर्गत मंडलकारा आरा में ERP सर्वर रूम का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	2.52	5100	750	2 माह	सामान्य
4.	शिवहर जिलान्तर्गत नगर थाना शिवहर में मैगजीन भवन के सुरक्षा के लिए वारवेड वायर फेंसिंग के दोहरी करन कार्य	0.60	1200	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग
5.	बेगुसराय जिलान्तर्गत नावकोठी थाना में 2 अदद मोर्चा का निर्माण कार्य	2.18	4400	500	4 माह	सामान्य
6.	लखीसराय जिलान्तर्गत नवसृजित पुलिस लाईन के प्रांगण में बालू भराई का कार्य	1.28	2600	500	2 माह	अति पिछड़ा वर्ग
7.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अहियापुर आदर्श थाना में विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)	5.68	11400	1250	2 माह	सामान्य
8.	बेगुसराय जिलान्तर्गत खोदावन्दपुर थाना में 1 यूनिट मोर्चा का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	1.10	2100	500	3 माह	पिछड़ा वर्ग
9.	रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर थाना में एक अदद वाच टावर एवं दो अदद मोर्चा का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	8.27	16600	1250	4 माह	अनुसूचित जाति
10.	गया जिलान्तर्गत खिजरसराय थाना में आर०सी०सी० रूफ पीलर के साथ का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	6.94	13900	1250	3 माह	सामान्य

11.	गोपालगंज जिलान्तर्गत श्रीपुर ओपीओ में 2 लोअर सबोर्डिनेट आवास (ब्लॉक-B) का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	4.40	8800	750	2 माह	अति पिछड़ा वर्ग
12.	पटना जिलान्तर्गत बीओएमपीओ-5 कैम्पस में नाला एवं गैरेज निर्माण तथा चहारदिवारी उँचा करने एवं डाईनिंग रूम में वाल पेपर लगाने का कार्य (पुनर्निविदा)	8.01	2200	1250	3 माह	अति पिछड़ा वर्ग
13.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत मीरगंज थाना में महिला पुलिस कर्मियों हेतु शौचालय-सह-स्नानागार का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	2.23	4500	500	45 दिन	सामान्य
14.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी थाना में शेष बचे हुए चहारदिवारी का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.76	11600	1250	3 माह	सामान्य
15.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास में विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)	2.68	5400	750	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
16.	शिवहर जिलान्तर्गत मंडल कारा, शिवहर में किचेन-सह-कैण्टीन का विद्युतिकरण सहित जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	2.54	5100	750	2 माह	अनुसूचित जाति
17.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक आवासीय परिसर में 10 सिपाहियों के बैरेक में विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)	0.95	1900	500	2 माह	पिछड़ा वर्ग

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
11. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निविदादाता से Additional Performance gurantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया लायेगा ।
12. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
13. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम)/ बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास-पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, उपरोक्त कडिका सं०-3 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
14. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय सम्वेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :-आयकर पैन नं०,बिक्रीकर निबंधन उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
15. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
16. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
17. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्ट का सीमेंट एवं स्टील सम्वेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112 -1989, आई०एस० 455-1989 छड़ बी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ 9001/9002, आई०एस०ओ 14001-1996 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
18. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी ।
19. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
20. कार्य की प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण-विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
21. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती है ।
- 22(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।


- 22(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
23. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
24. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा । विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
25. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
26. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त कंडिका सं०-2 में अंकित तिथि तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह- प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतये हो ।
27. सभी गैर-अनुसूचित मर्दों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायगी ।
28. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
29. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे ।
30. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
31. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।
32. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रू० 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में बिषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा ।
33. नियमानुसार अंकित कमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है । सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा ।


मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापक- एच०क्यू- 5592A

पटना, दिनांक- 29.12.2016


प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- मगध प्रमंडल, कैम्प-डेहरी, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प-हाजीपुर, भागलपुर, पटना, दरभंगा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।


मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 5592A

पटना, दिनांक- 29-12-2016


प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल- राजगीर /मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


A 29/12/16 29.12.2016
मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 5592A

पटना, दिनांक- 29.12-2016

प्रतिलिपि- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, पटना, गया, भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, बेगुसराय, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, रोहतास, गोपालगंज, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।


A 29/12/16 29.12.2016
मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।